सं. 25012/1/2015-स्था.(ए-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना (ए-IV) डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 19 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- निःशक्त व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध - भगवान दास और अन्य बनाम पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (2008) 1 एससीसी 579 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2015 के का.ज्ञा.सं. 18017/1/2014-स्था.(छुट्टी) के तहत निःशक्त सरकारी सेवकों की छुट्टी और अनुपस्थिति के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

2. ऐसे उदाहरण संज्ञान में आए हैं जहां सरकारी कर्मचारी किसी निःशक्तता के कारण उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 38, नियम 48 और 48क अथवा मूल नियम के नियम 56 जैसे विभिन्न प्रावधानों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें निःशक्त व्यक्ति (समान्य अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (निःशक्त व्यक्ति अधिनियम) की धारा 47 के तहत प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में जानकारी नहीं होती है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 47, संदर्भ हेतु नीचे दर्शाई गई हैः

> "सरकारी नियोजन में कोई भेदभाव नहीं – (1) किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान निःशक्त होने की स्थिति में उसकी सेवाओं को न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही उसकी रैंक को घटाया जा सकता है।
>
> बशर्ते कि यदि ऐसा कर्मचारी जो निःशक्त होने पर उसके द्वारा धारित पद हेतु उपयुक्त नहीं रह गया हो तो उसे समान वेतनमान और सेवा लाभों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
>
> बशर्ते यह भी कि यदि ऐसे किसी कर्मचारी को किसी अन्य पद के लिए समायोजित करना संभव न हो, तो उसे किसी उपयुक्त पद के उपलब्ध होने अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकता है।
>
> किसी व्यक्ति को केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा;
>
> बशर्ते कि उपयुक्त सरकार किसी भी अधिष्ठान में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जिसे ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भी अधिष्ठान को इस धारा को प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है।"

---2

3. इस मुद्दे की सुनवाई भगवान दास और अन्य बनाम पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (2008) 1 एससीसी 579 में की गई थी, और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था जहां अपनी सेवा के दौरान दृष्टिहीनता से पीड़ित होने पर किसी कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ता को कानून द्वारा उसे प्रदान किए जाने वाले संरक्षण की जानकारी नहीं थी, और उसने स्पष्ट रूप से यह माना था कि दृष्टिहीनता की वजह से उसे अपनी नौकरी छोड़नी होगी, जो कि उसके परिवार की आजीविका का साधन थी। इन परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारियों का यह दायित्व था कि वे उसे सही कानूनी स्थिति और उसके कानूनी अधिकारों के बारे में बताएं।

4. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 47 के प्रावधानों और उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी भी कोई सरकारी सेवक चिकित्सा आधारों का उल्लेख करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है अथवा जब किसी निःशक्तता के कारण उक्त नोटिस प्रस्तुत किया जाता है तो प्रशासनिक प्राधिकारी यह परीक्षण करेंगे कि यह मामला निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 47 के अंतर्गत आता है या नहीं। यदि इसके प्रावधान लागू होते हैं तो सरकारी कर्मचारी को यह सलाह देनी होगी कि उसके पास समान वेतनमान और सेवा लाभों के साथ सेवा में बने रहने का विकल्प उपलब्ध है।

5. यदि कोई निःशक्त सरकारी कर्मचारी अपने निर्णय पर पुनः विचार करता है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को वापिस लेता है तो उसके मामले को ऊपर उल्लिखित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2015 के का.ज्ञा. के साथ पठित धारा 47 के प्रावधानों के अंतर्गत निपटाया जाएगा। यदि, ऐसी सलाह दिए जाने के बाद भी वह सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता है, तो उसके आवेदन पर लागू नियमों के अंतर्गत कार्यवाई की जाए।

7. सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे निःशक्त सरकारी सेवकों से प्राप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन के मामलों पर कार्रवाई करते समय उक्त तथ्य को ध्यान में रखें।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक
दूरभाष 23093176

सेवा में

सचिव,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

---3

प्रतिः-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी कार्यालय तथा अनुभाग।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
10. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित (का.ज्ञा./आदेश << नियमावली)।